न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 99 / 2019

श्री रामलाल पुत्र श्री नारायणदास, जाति साधु, निवासी ग्राम तिलाना, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, श्रीनगर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री गौतम चन्द टाक, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.03.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री रामलाल पुत्र श्री नारायणदास, जाति साधु, निवासी ग्राम तिलाना, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ने ग्राम तिलाना के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2192 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म बा0 3 पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार श्रीनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 341 / 2019 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 13.02.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इस आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.02.2019 से असंतुष्ट होकर एक अपील इस न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2019 निरस्त कर अपील नायब तहसीलदार, श्रीनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक तिलाना से रिपोर्ट प्राप्त की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर अपीलान्ट का अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

होकर कैलाश पुत्र श्योजी के पत्थर पडे होना पाया गया। इस आशय की भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट नायब तहसीलदार श्रीनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व पुनः राजस्व प्रकरण संख्या 341/2019 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.08.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित आराजी बाबत अतिक्रमी/अपीलान्ट श्री रामलाल पुत्र श्री नारायण दास के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही खारिज करने एवं अतिक्रमी कैलाश पुत्र श्योजी की विवादित भूमि से बेदखली व भूमि रिक्त करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28.08.2019 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश में अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं मानते हुए धारा 91 का प्रकरण समाप्त किया गया है जबकि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कदीमी काल से कब्जा चला आ रहा है व पक्का निर्माण था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कब्जे काश्त से बेदखल एवं अतिक्रमण से मुक्त करने का जो आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है वह अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कदीमी कब्जा मानते हुए नियमन की यथोचित कार्यवाही करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार के परिपत्र अनुसार इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज किया है कि धारा 91 के प्रकरण में यदि कहीं पक्का निर्माण हो तो ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर की अनुमति होना आवश्यक है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर तथा गिरदावर व पटवारी के जिरह, बयान जवाब व अन्य कानूनी कार्यवाही का कोई अवसर अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो प्रदान नहीं किया जाकर केवल प्रकरण का निस्तारण करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.07.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए दिनांक 28.08.2019 को मात्र एक माह तीन दिवस में ही प्रकरण को निस्तारित कर दिया जो कानून की मंशा के विपरीत होकर अपीलान्ट के विधिक कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात है। साथ ही अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही विधि के विपरीत है जबकि उसका कदीमी काल से कब्जा पाया गया है जो कि उसकी नियमितीकरण का मुख्य आधार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट के पक्ष में नियमितीकरण के लिये दिशा निर्देश जारी करने चाहिये थे जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश संशोधित कर ग्राम तिलाना स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2192 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म बा0 3 का आवंटन/नियमन कदीमी कब्जे काश्त के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत अतिक्रमी/अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही खारिज करते हुए अन्य अतिक्रमी कैलाश पुत्र श्योजी की विवादित भूमि से बेदखली व भूमि रिक्त करने के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कदीमी कब्जा व पक्का निर्माण होना बताते हुए आवंटन/नियमन किये जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट को इस हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमानुसार आवेदन करना चाहिये। अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से यह अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश से अपीलान्ट के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत धारा 91 की कार्यवाही खारिज की गई है एवं अन्य अतिक्रमी कैलाश पुत्र श्योजी की विवादित भूमि से बेदखली व भूमि रिक्त करने के आदेश दिये गये हैं किन्तु जहां तक विवादित आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन/नियमन करने का प्रश्न है, इस हेतु अपीलान्ट आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पृथक से नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्ट को अपील के माध्यम से इस प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर